

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में

अधीक्षक,

नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान,
पावापुरी, नालंदा/श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर ।

निदेशक,

लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना ।

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,

मुजफ्फरपुर/नवादा/सुपौल/बेगुसराय/पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/मधुबनी/गयाजी/
नालंदा/रोहतास/मुंगेर/खगड़िया/पटना/पूर्णियाँ एवं बक्सर ।

पटना, दिनांक:

विषय: अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु वांछित कागजात/अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्नलिखित चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विभिन्न प्रायोजनो हेतु अनापत्ति दिए जाने हेतु आवेदन उपलब्ध कराया गया है परन्तु आवेदन के साथ स्तम्भ-3 में अंकित अभिलेख/कागजात सलग्न नहीं है -

क0 सं0	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	अभिलेख/कागजात
1	2	3
1	डा0 अमित कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मड़वन, मुजफ्फरपुर	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कंडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं । 5. पूर्व में किस विषय में डिप्लोमा किया गया है तथा वर्तमान में किस विषय एवं किस संस्थान में डी0एन0बी0-पी0डी0सी0ई0टी0 अध्ययन करना है ।
2	डा0 अविनाश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, लालदिगहा, काशीचक, नवादा	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कंडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
3	डा0 अख्तर हुसैन, चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय औषधालय, लालगंज, सरायगढ़, भपटियाही, सुपौल	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कंडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
4	डा0 मो0 शाहनवाज आलम, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरायगढ़, भपटियाही, सुपौल	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कंडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।

630(3)

15/7/26

5	डा0 रचना रानी, चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय औषधालय, लालगंज, सरायगढ, भपटियाही, सुपौल	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
6	डा0 प्रवीण कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, रेडियोथेरेपी विभाग, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
7	डा0 नितिन आनंद, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, एस0एन0सी0यू0, बेगुसराय	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने प्रमाण पत्र ।
8	डा0 अनुजा भारती, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, एल0एन0जे0पी0 अस्पताल, राजवंशीनगर पटना	1. नवीनतम विहित जॉच पत्र पर नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं ।
9	डा0 अतहर हुसैन, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण !	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
10	डा0 सुचितानन्द कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालंदा	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने प्रमाण पत्र । 3. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
11	डा0 प्रवीण पिंटू, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बेनीपट्टी, मधुबनी	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
12	डा0 अशोक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, रानीगंज, इमामगंज, गया	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
13	डा0 अभिषेक कुमार सिन्हा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र, किशनपुर, सुपौल	1. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने प्रमाण पत्र । 2. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 3. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
14	डा0 चंदन कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय, सुपौल	1. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने प्रमाण पत्र । 2. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 3. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।

630(3)
15/11/26

[illegible]

630/3)

1517126

25	डा० शशांक शेखर, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परैया, गयाजी	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कंडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
26	डा० हर्षवर्धन, चिकित्सा पदाधिकारी, एस०एन०सी०यू०, सदर अस्पताल, सुपौल	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कंडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
27	डा० प्रेम रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्रह्मपुर, बक्सर	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कंडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।

02. अतः अनुरोध है कि उक्त चिकित्सा पदाधिकारी से पूर्ण सूचना सहित स्तम्भ-3 में अंकित अभिलेख/कागजात प्राप्त कर अनुशंसा सहित आवेदन उपलब्ध कराया जाए ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु कार्रवाई की जा सके ।

अनुलग्नक यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह०/-

ज्ञापांक

630(3)

/ स्वा०, पटना, दिनांक :

(विनोद कुमार पाठक)

प्रतिलिपि: सबधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि उक्त वांछित कागजात अपने नियंत्री पदाधिकारी से सम्पर्क साधते हुए अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव